

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत करन कुमार पिता-परमेश्वर साव ग्राम- पचड़ा , थाना- केरेड़ारी, जिला: हजारीबाग(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम- बिंगलात; (रैयती भूमि) के अधीन खाता सं.-29; के अधीन प्लॉट सं.-37, 108, 175, 177, 265, 341, 354, 361, 427, 436, 500, 531, 662, 676, 708, 281, 283; के अधीन खाता सं.-19; के अधीन प्लॉट सं.-88; के अधीन खाता सं.-45; के अधीन प्लॉट सं.-347; के अधीन खाता सं.-23; के अधीन प्लॉट सं.-320; के अधीन खाता सं.-2; के अधीन प्लॉट सं.-302; ग्राम- होन्हे, थाना सं. 50, के अधीन खाता सं.-1; के अधीन प्लॉट सं.-113P; के अधीन खाता सं.-53; के अधीन प्लॉट सं.-285; कुल रकबा: - 2.0042 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

ज्योत्सना  
21.12.2024  
उप-प्रबंधक (सामुदायिक विकास)  
भूमि एवं राजस्व विभाग  
सी.सी.एल. राँची